



केंद्रीय प्रतपिक्ष

प्रलमिस के लयि:

केंद्रीय प्रतपिक्ष (CCPs), यूरोपीय बाज़ार अवसंरचना वनियमन (EMIR), यूरोपीय प्रतभूति एवं बाज़ार प्राधकिरण (EMSA)

मेन्स के लयि:

CCP और वत्तितीय बाज़ारों में इसकी कार्यप्रणाली, यूरोपीय बैंकों के लयि भारतीय CCPs की ESMA की मान्यता समाप्त करने के नहितारथ

चर्चा में क्यों?

यूरोपीय संघ के वत्तितीय बाज़ार नयामक, यूरोपीय प्रतभूति और बाज़ार प्राधकिरण (ESMA) ने **यूरोपीय बाज़ार अवसंरचना वनियमन (EMIR)** के अनुसार, 30 अप्रैल, 2023 से छह भारतीय केंद्रीय प्रतपिक्षों (CCP) की मान्यता रद्द कर दी है।

- ये छह **CCPs** भारतीय समाशोधन नगिम (Clearing Corporation of India- CCIL), भारतीय समाशोधन नगिम लमिटिड (Indian Clearing Corporation Ltd- ICCL), NSE समाशोधन लमिटिड (NSE Clearing Ltd- NSCCL), मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लयिरगि (MCX CCL), इंडिया इंटरनेशनल क्लयिरगि कॉरपोरेशन (India International Clearing Corporation-IFSC) लमिटिड (IICC) और NSE IFSC समाशोधन नगिम लमिटिड (NSE IFSC Clearing Corporation Ltd- NICCL) हैं।

भारतीय केंद्रीय प्रतपिक्ष (CCP):

परचिय:

- CCP एक वत्तितीय संस्थान है जो **वभिन्नि डेरविटवि और इक्विटी बाज़ारों में खरीदारों एवं वकिरेताओं के बीच मध्यस्थ** के रूप में कार्य करता है। CCPs ऐसी संरचनाएँ हैं जो वत्तितीय बाज़ारों में **समाशोधन और नपिटान प्रक्रया** को सुवधिजनक बनाने में सहायता करती हैं।
- CCP का प्राथमकि लक्ष्य वत्तितीय बाज़ारों में दक्षता और स्थरिता को बढ़ाना है।
- CCP **प्रतपिक्ष, परचालन, नपिटान, बाज़ार, कानूनी और डफिॉल्ट मुद्दों** से जुड़े जोखमिों को कम करता है।
- CCP एक व्यापार में खरीदारों और वकिरेताओं दोनों के प्रतपिक्ष के रूप में कार्य करता है, इसमें शामिल प्रत्येक पक्ष से धन एकत्र करता है और व्यापार की शर्तों की गारंटी देता है।

कार्यप्रणाली:

- समाशोधन और नपिटान CCP** के दो मुख्य कार्य हैं।
 - समाशोधन में **व्यापार के वविरण को मान्य करना** और यह सुनिश्चिती करना शामिल है **कलिन-देन को पूरा करने के लयि दोनों पक्षों के पास पर्याप्त धन है**।
 - नपिटान में वकिरेता से खरीदार को व्यापार में सम्मलिति **परसिंपत्तया प्रतभूति के स्वामित्त्व का हस्तांतरण** शामिल है।

भारत में वनियामक:

- मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और फॉरेन एक्सचेंज डेरविटविस के लयि **भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI)**।
 - CCP को **भुगतान और नपिटान प्रणाली अधनियम, 2007** के तहत भारत में संचालन के लयि RBI द्वारा अधिकृत कया गया है।
 - CCPs समाशोधन प्रतभूतयिों और कमोडिटी डेरविटवि के लयि **भारतीय प्रतभूति और वनियमि बोरड (SEBI)**।

ESMA द्वारा भारतीय CCP की मान्यता समाप्त:

कारण:

- ESMA ने सभी EMIR आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहने के कारण भारतीय CCP की मान्यता समाप्त कर दी।
- ESMA और भारतीय नियामकों- RBI, SEBI और [अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण](#) (International Financial Services Centres Authority- IFSCA) के बीच 'किसी प्रकार की सहयोग संबंधी व्यवस्था की अनुपलब्धता' के कारण यह नरिणय लया गया।

- ESMA इन छह CCPs की नगरानी करना चाहता है, भारतीय नियामकों का मानना है कि **कच्चीकिये घरेलू CCPs भारत में कारररत हैं, यूरोपीय संघ में नहीं, इसलयाि इन संस्थाओं को ESMA नयिमों के अधीन नहीं लाया जा सकता है।** भारतीय नियामकों को लगता है कि इन छह CCP के पास ठोस जोखमि प्रबंधन व्यवस्था है, इसलयाि कसिसी वदिसी नयिमक को उनका नरिीकषण करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रभाव:

- नकिसी के नरिणयों के लागू होने की तथिसी के अनुसार, ये CCPs अब यूरोपीय संघ में स्थापतिसी समाशोधन सदस्यों और व्यापारकिसी केंद्रों को सेवाएँ प्रदान नहीं करेंगे।
- इस नरिणय का भारत में यूरोपीय बैंकों पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि भारतीय केंद्रीय प्रतपिकषों से जुड़े लेन-देन के लयाि या तो उन्हें अपनी पूंजी आवश्यकताओं को 50 गुना तक बढ़ाने की आवश्यकता होगी या उन्हें अगले 6 से 9 महीने के दौरान उन प्रतपिकषों के साथ अपनी होलडगिसी को समाप्त करना होगा।

यूरोपीय प्रतभूतिसी और बाज़ार प्राधकिसीरण (ESMA):

- ESMA स्वतंत्र यूरोपीय संघ प्राधकिसीरण है।
- ESMA नविसीकों की सुरकषा और स्थरिसी एवं व्यवस्थतिसी वतिसीय बाज़ारों को बढ़ावा देता है।
- ESMA वशिसीट वतिसीय संस्थाओं जैसे- क्रेडिट रेटगिसी एजेंसयों, प्रतभूतिसीरण रपिीजटिसीरी एवं ट्रेड रपिीजटिसीरी का प्रत्यकष पर्यवेकषक है।

यूरोपीय बाज़ार अवसंरचना वनियमन (EMIR):

- EMIR अगस्त 2012 में अपनाया गया एक यूरोपीय संघ वनियमन है।
- इसका उद्देश्य OTC डेरविसी बाज़ार में प्रणालीगत, प्रतपिकष और परचालन जोखमिसी को कम करना है।
- यह CCPs और ट्रेड रपिीजटिसीरी हेतु उच्च वविकपूरण मानक नरिीधरतिसी करता है।
- EMIR गैर-नकिसी डेरविसी जोखमिसी न्यूनीकरण रणनीतयों में सुधार करता है।
- यह तीसरे देश के CCP की पहचान और पर्यवेकषण हेतु एक ढाँचा स्थापतिसी करता है।

[स्रोत: इकॉनोमकिसी टाइमस](#)